उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
आयोग भवन, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार,
संख्याः. 466 / पी0सी0एस0(जे)2011 / अतिगोपन–2 / 2012
हरिद्वार : दिनांक : 11 जनवरी, 2012

सूचना / विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा **दिनांक 21 अगस्त, 2011** को आयोजित **उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) प्रारम्भिक परीक्षा** –2011 एवं शासन के पत्रांक 200 / XXX–1 / 2012 / 26(01) / 2011 दिनांक 06 जनवरी, 2012 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित अधियाचन के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया जाता है–

100011	100052	100068	100073	100075	100114	100121	100126
100128	100132	100142	100144	100165	100194	100199	100236
100238	100303	100358	100390	100392	100409	100419	100499
100518	100523	100570	100578	100744	100755	100765	100893
100927	100970	100984	100997	101016	101094	101103	101120
101135	101202	101261	101278	101330	101373	101447	101498
101613	101627	101646	101685	101750	101847	101880	101907
101970	101983	101986	102008	102012	102077	102098	102120
102131	102132	102155	102187	102222	102290	102330	102355
102406	102409	102427	102513	102538	102593	102594	102612
102706	102728	102858	102865	102894	102982	103017	103066
103071	103076	103087	103093	103115	103126	103157	103165
103170	103211	103238	103303	103384	103471	103527	103529
103569	103579	103585	103675	103691	103726	103744	103810
103818	103856	103859	103924	103995	104053	104079	104103
104137	104164	104169	104230	104274	104278	104289	104315
104349	104374	104375	104393	104472	104529	104532	104535
104566	104626	104630	104662	104689	104802	104846	104850
104867	104895	104900	104905	105026	105031	105036	105050
105074	105083	105259	105297	105332	105345	105405	105432
105477	105560	105573	105612	105677	105762	105875	105877
105925	106019	106058	106091	106151	106291	106335	106421
106423	106433	106446	106474	106477	106487	106494	106514
106547	106581	106631	106686	106722	106725	106760	106789
106859	107121	107164	107203	107335	107428	107451	107462
107474	107481	107548	107588	107620	107695	107779	107782
107807	107922	107930	107940	107966	108256	108415	108586
108646	108725	108776	108815	108908	108911	109048	109176
109256	109279	109487	109504	109553	109670	109693	109755
109838	109880	109894	109909	109923	109924	110081	110224
110261	110276	110409	110551	110568	110661	110697	110717
110806	110812	110821	110892	110910	110944	111066	111103
111188	111220	111253	111302	111407	111446	111511	111517
111577	111845	111983	112135	112187	112214	112228	112285
112459	112525	112555	112866	112874	112875	112928	113008
113130	113150	113184	113222	113236	113333	113535	113587
113622	113709	113849	113850	113916	113968	114075	114084
114102	114172	114405	114421	114559	114745	114798	114884
114905	115014	115063	115171	115209	115393	115396	115411
115493	115560	115609	115628	115659	115660	115729	115736
115758	115862	115879					

उक्त परीक्षाफल को आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर देखा जा सकता है।

नोट :– 1 – उक्त परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा उनके ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्रों में किये गये दावों यथा स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि से सम्बन्धित दावे के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित का अभिलेखों से परीक्षण किया जाना अवशेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षाफल पूर्णतः औपबन्धिक है। मुख्य परीक्षा के पूर्व समस्त दावों एवम् अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवम् अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते है तो अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

2– मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियो के आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अलग से प्रेषित किये जा रहे है। उक्त प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराये गये है जिन्हें अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (प्रपत्रों सहित) प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 02 फरवरी, 2012** सायं 06:00 बजे तक है। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे तथा डाक विलम्ब के लिए आयोग कार्यालय जिम्मेदार नही होगा।

/

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. अनुभाग अधिकारी, परीक्षा–2 अनुभाग।
4. व्यवस्थाधिकारी को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी आई0टी0 अनुभाग को उक्त परीक्षाफल आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव।

कार्यालयः उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

संख्याः 2606 / 18 / ई–2 / pcs-J / 2010–11

हरिद्वारः दिनॉक 11 जनवरी, 2012

कार्यालय ज्ञाप

प्रिय महोदय / महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) प्रारम्भिक परीक्षा–2011 के परिणाम के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया गया है।

2. इस ज्ञाप के साथ निम्नलिखित प्रपत्र आपको प्रेषित किये जा रहे हैः–

(I) परम्परागत आवेदन–पत्र	आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र की सभी प्रविष्टियां भरें तथा समस्त संलग्नकों सहित आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र आयोग कार्यालय को भेजें।
(II) प्रवेश पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र	
(III) परम्परागत आवेदन पत्र भरने के अनुदेश।	

3. अभ्यर्थी इस ज्ञाप के साथ प्रेषित आवेदन पत्र / प्रवेश पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरकर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता तथा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में किये गये आरक्षण के दावों की पुष्टि से संबंधित प्रमाण पत्रों / उपाधियों / अंक पत्रों / की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404 को किसी भी माध्यम से (बिना डाक टिकट के आवेदन पत्र अथवा उनकी फैक्स प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएगी) **दिनांक 02 फरवरी 2012** के सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध करा दें। जो अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से अपना आवेदन पत्र जमा करना चाहते हैं वे हरिद्वार स्थित आयोग कार्यालय में डाक अनुभाग के काउण्टर पर उक्त अन्तिम तिथि तक अथवा उससे पहले भी अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

4. परम्परागत आवेदन पत्र एवं अन्य उपरोक्त प्रपत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किये जाएं उसके ऊपर मोटे अक्षरों में **"उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) मुख्य परीक्षा–2011"** तथा अपना **नाम** व **अनुक्रमांक** अवश्य लिखें। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डाक विलम्ब के लिये आयोग कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। वांछित प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

(मौहम्मद यूनुस)
अनुभाग अधिकारी,
कृते सचिव।

अनुक्रमांकः–

सेवा में,

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) (मुख्य) परीक्षा–2011

आवेदन–पत्र

आवश्यक सूचना

(1) अभ्यर्थी सभी स्तम्भ सही–सही भरने के बाद घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें अन्यथा उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावे की पुष्टि में सभी उपाधियों, प्रमाण–पत्रों तथा अंक तालिकाओं की स्व–प्रमाणित/अभिप्रमाणित प्रतियॉ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने पर उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के आवेदन–पत्र में किये गये आरक्षण के दावे के संबंध में शासनादेशानुसार निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर (विज्ञापन संख्या ए–1/ई–2/2010–11, दिनॉक 14 मई, 2011 के परिशिष्ट–3 के अनुसार) निम्न प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति अवश्य प्रस्तुत करे। **प्रारम्भिक परीक्षा के ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में श्रेणी/उपश्रेणी के संबंध में किये गये दावे में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है।**

(क) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र (ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र (ग) पूर्व सैनिक के संबंध में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (घ) शासनादेश संख्या–2461/XXX (2)/2006 दिनांक 06.10.2006 के मानक के अनुसार कुशल खिलाडी का प्रमाण पत्र (ड़) उत्तराखण्ड अधिवास प्रमाण पत्र (च) शारीरिक विकलांगता के संबंध में शासनादेश संख्या 196/xvi–2/2011–29 (स.क./2003) दिनांक 25 मार्च 2011 के अनुसार प्रमाण पत्र (छ) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/आश्रित का प्रमाण पत्र। (उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी के आश्रित को शासनादेश संख्या 4020/XXX(4)–7/उ.आन्दो./2006, दिनांक 8.11.06 में निर्धारित मानक से आच्छादित होने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा) (ज) सेवारत कर्मचारियों के लिये विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र।

अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का स्व–हस्ताक्षरित फोटोग्राफ यहॉं चिपकाएं

1. अनुकमांक..
   (अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा का अनुक्रमांक लिखें)
2. परीक्षा का नाम..
3. अभ्यर्थी का नाम :
   (1) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में..
   (2) हिन्दी में..
4. पिता/पति का नाम..
5. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार):
   अंकों में ....
   शब्दों में ....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)
(जैसा कि आवेदन–पत्र के घोषणा पत्र में अंकित है)

आयु– दिनांक 1 जनवरी 2011 को

वर्ष	माह	दिन

6. डाक का पता :
   पत्र–व्यवहार का पता ....
   ....
   ....दूरभाष संख्या–..........................

   स्थायी पता ....
   ....दूरभाष संख्या–..........................

HN

7. शैक्षणिक अर्हता :

(हाईस्कूल एवं आगे की परीक्षाओं की स्व–प्रमाणित/अभिप्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है)

परीक्षा	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	वर्ष	विषय	प्राप्तांक
1	2	3	4	5
(1)हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री				
(2) इण्टरमीडिएट				
(3) स्नातक				
(4) विधि स्नातक				
(5) अन्य				

8. परीक्षा शुल्क का विवरण (बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर मूल रूप में संलग्न करें):

बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या तथा दिनॉक	बैंक/डाकघर का नाम एवं स्थान (जिला सहित)	धनराशि	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3	4

11. क्या आप कभी संघ लोक सेवा आयोग या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवारित (Debar) किये गए हैं ? यदि हॉ तो कारण एवं अवधि का उल्लेख करें –

....

घोषणा

(1) मैं, एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित की गई पात्रता की सभी शर्तें एवं इस आवेदन–पत्र में ऊपर उल्लिखित सूचनायें सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं। वे मुझे मान्य हैं और मैं ये शर्तें पूरी करता/करती हूँ।

(2) मैं, यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन–पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इन विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पाये जाने या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। यदि नियुक्त किये जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये।

(3) मैं, उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ/नहीं हूँ और मैंने अपना आवेदन–पत्र भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को दिनॉक.............................. को विधिवत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है।

(4) मैंने ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र में किये गये विभिन्न दावों के समर्थन में वांछित प्रमाण–पत्रों की प्रतियां इस आवेदन–पत्र के साथ दाखिल कर दी हैं। इसमें कोई कमी पाये जाने पर आयोग द्वारा मेरे अभ्यर्थन के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

संलग्नकों की संख्या:

1. अंकों में .... शब्दों में ....

2. विवरण

दिनॉक.........................

स्थान..........................

अंगूठे का निशान
(पुरूष अभ्यर्थी बायें अंगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी दाहिने अंगूठे का निशान लगाये)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व नाम
(हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान न होने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा)

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

UTTARAKHAND JUDICIAL SERVICE CIVIL JUDGE (J.D.) (Main) EXAMINATION-2011

ADMIT CARD

Name of Candidate: (in block letters)	Roll Number:
Father/Guardian's Name:	Self attested Photograph
Mailing Address (in block letters) NAME.. .... ADDRESS..	Signature of the Candidate (S.N. Pandey) Controller of Examinations Uttarakhand Public Service commission

Note : Examination Schedule and important instructions are attached with this Admit Card.

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

UTTARAKHAND JUDICIAL SERVICE CIVIL JUDGE (J.D.) (Main) EXAMINATION-2011

VERIFICATION FORM

Name of Candidate: (in block letters)	Roll Number:
Father/Guardian's Name:	Self attested Photograph
Mailing Address (in block letters) NAME.. .... ADDRESS..	Signature of the Candidate (S.N. Pandey) Controller of Examinations Uttarakhand Public Service commission

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) (मुख्य) परीक्षा–2011

परम्परागत आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश एवं सूचनायें।

1. प्रश्नगत परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन आयोग के विज्ञापन संख्याः ए–1/ई–2/2010–11, दिनॉक 14 मई, 2011 को विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराया गया है।

2. प्रश्नगत पद हेतु अनिवार्य अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि 13 जून 2011 तक धारित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

3. मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का अनुकमांक वही होगा जो प्रारम्भिक परीक्षा में था।

4. अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावे की पुष्टि में सभी उपाधियों, प्रमाण–पत्रों यथा अंक तालिकाओं की स्व–प्रमाणित प्रतियॉ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की पुष्टि में उपाधि/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

5. अभ्यर्थियों ने प्रारम्भिक परीक्षा के आवेदन–पत्रों में जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया है उसकी पुष्टि में मुख्य परीक्षा के आवेदन–पत्र के साथ उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर संबंधित प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियॉ अभ्यर्थी अवश्य संलग्न करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

6. मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य /उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रू0 280/– (परीक्षा शुल्क रू0 250/– व डाक शुल्क रू0 30/–) है, किन्तु उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये रू0 130/–(परीक्षा शुल्क रू0 100/– व डाक शुल्क रू0 30/–) है। पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/आश्रित/स्वतंत्रा संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/कुशल खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये शुल्क उनकी मूल श्रेणी यथा सामान्य/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग/उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के समतुल्य है। शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा आहरित एवं निर्गत एकाउण्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जो सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को हरिद्वार में देय हो, स्वीकार किया जायेगा। अभ्यर्थी बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर के पीछे अपना नाम, अनुक्रमांक तथा पता अवश्य लिखें। अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करने अथवा बिना शुल्क के आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा और न ही अन्य किसी परीक्षा के लिये समायोजित किया जाएगा।

Nh

7. (i) मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य विषय होंगे, जिनका पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिशिष्ट–2 में उल्लिखित है:–

विषय	अधिकतम अंक
1. वर्तमान परिदृश्य (The Present day)	150 अंक
2. भाषा (Language)	100 अंक
3. विधि प्रश्न पत्र–I (मुख्य विधि–Substantive Law)	200 अंक
4. विधि प्रश्न पत्र–II (प्रक्रिया और साक्ष्य–Evidence & Procedure)	200 अंक
5. विधि प्रश्न पत्र–III (राजस्व और दाण्डिक–Revenue & Criminal)	200 अंक

(ii) कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा 100 अंक (अर्हकारी अंक 40)
(Microsoft windows operating system and microsoft office)
(1)Windows & Internet (2)M.S. Word (3)M.S. Access (4)M.S. Excel (5) M.S. Power Point
प्रत्येक प्रश्न में 5 क्रियायें (Function/Activity) शामिल होगी, जिसे कम्प्यूटर पर संचालित करना होगा। प्रत्येक क्रिया (Function/Activity) के लिये 4 अंक निर्धारित है।

8. साक्षात्कार परीक्षा– 100 अंक

नोट– (i) कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। **40 अंक से कम अंक प्राप्त करने पर मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।**

(ii) साक्षात्कार परीक्षा के लिये वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो सामान्य श्रेणी हेतु 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 40 प्रतिशत अंक मुख्य परीक्षा में प्राप्त करेंगे।

9. मुख्य परीक्षा हरिद्वार नगर में आयोजित की जायेगी।

10. अभ्यर्थी शुल्क के निमित बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर की मूल प्रति संलग्न करें। परम्परागत आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, सत्यापन प्रपत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें।

11. अभ्यर्थी परम्परागत आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र (**VERIFICATION FORM**) के सभी स्तम्भ सही–सही भरने के बाद परम्पररागत आवेदन पत्र में घोषणा के नीचे तथा प्रवेश पत्र, सत्यापन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

12. परम्परागत आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर **पुरूष अभ्यर्थी बायें अंगूठे** का निशान तथा **महिला अभ्यर्थी दाहिने अंगूठे** का निशान अवश्य अंकित करें, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

13. परीक्षा कार्यक्रम से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त परीक्षा कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर भी उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते है।

(एस.एन. पाण्डेय)
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार।